

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 अगस्त 2021—श्रावण 18, शक 1943

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2021

क्र. एफ-23-02-2021-सा.-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का 8) की धारा 4 के साथ पठित धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ओ.एम.टी. (OMT) स्कीम पर विकसित की जा रही नीचे दर्शायी सड़कों पर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा मार्ग अथवा उसके भाग (अनुरूप भाग) हेतु जारी किये गये समापन प्रमाण-पत्र की तारीख से मार्ग अथवा उसके (अनुरूप भाग) पर प्रति फेरा प्रतियान आधार (पर ट्रिप पर वेहिकल बेसिस) पर निम्नलिखित मूलदरों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है:—

अनु. क्र.	विवरण	पथकर की मूल दरें, दिनांक 01-09-2007 से प्रभावी (रुपये प्रति किलोमीटर तथा प्रति फेरा)
(1)	(2)	(3)
1.	हल्के व्यवसायिक भार-वाहक वाहन	0.85
2.	खाली तथा भरा हुआ ट्रक	2.11
3.	मल्टी एक्सल ट्रक	4.21

2. पथकर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, द्वारा चयनित प्राइवेट विकासकर्ता या उनके अभिकर्ता द्वारा संगृहित किया जाएगा. प्रत्येक पथकर प्लाजा पर पथकर की दरें, उपरोक्त दरों के आधार पर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी. पथकर प्लाजा द्वारा अनुरूप भाग की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी टेण्डर के अनुसार होगी.

3. उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जाएगी तथा निकटतम 5 रुपये तक पूर्णांकित की जाएगी. प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की दरों को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष के 1 सितम्बर से प्रभावी किया जायेगा. पथकर की मूल दरें दिनांक 01-09-2007 को प्रभावी होने के लिए अधिसूचित मूल दर के अनुसार होगी. प्रतिवर्ष पथकर वृद्धि गणना नीचे दिए गए सूत्र (उदाहरण) के अनुसार की जायेगी:—

मूल थोक मूल्य सूचकांक :

(दिनांक 31 मार्च, 07 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए)—थोक मूल्य सूचकांक (क) दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए—थोक मूल्य सूचकांक (ख).

गणना सूत्र :

नवीन पथकर दर दिनांक 01-09-2008 से प्रभावी = $\frac{\text{मूल पथकर दर} \times \text{थोक मूल्य सूचकांक (ख)}}{\text{थोक मूल्य सूचकांक (क)}}$
(दिनांक 01-09-2008 से)

आगामी वर्षों के लिए गणना उपरोक्तानुसार नये वर्ष हेतु नए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जायेगी. मूल थोक मूल्य सूचकांक 31 मार्च, 2007 को समाप्ति वर्ष का होगा.

4. किसी मार्ग या उसके भाग (अनुरूप भाग) पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण (अनुरूप भाग) रियायत अनुबंध के उपबंधों के अनुसार कन्सेशनार द्वारा करारनामा पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से 45 दिन बाद प्रारंभ होगा.

5. रियायतग्राही व्यक्ति परियोजना राजमार्ग के प्रवेश स्थल पर और प्रत्येक पथकर-प्लाजा के दोनों ओर परियोजना राजमार्ग के दोनों तरफ से आने वाले उपयोगकर्ता की जानकारी के लिए लागू पथकर हिन्दी और अंग्रेजी में संप्रदर्शित करेगा.

6. अप्राधिकृत संग्रहण:—

1. यदि रियायतग्राही व्यक्ति किसी व्यक्ति से धन की ऐसी राशि संग्रहीत करता है जो इसके अधीन शोध्य और देय नहीं है तो रियायतग्राही व्यक्ति संग्रहण की तारीख से वापसी की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए, इस प्रकार संग्रहीत रकम के 3 प्रतिशत की दर से संग्रहीत राशि के साथ इस प्रकार संग्रहीत रकम तुरंत ही नुकसानी के रूप में ऐसे व्यक्ति को वापस करने का दायी होगा. यथा पूर्वोक्त रीति से संगणित नुकसान के साथ ऐसी रकम के किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति को संदत्त न होने की दशा में उसे ऐसे संग्रहण की तारीख से 15 (पन्द्रह) दिनों की अवधि के भीतर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में निक्षिप्त किया जायेगा.
2. खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) के अधीन रियायतग्राही (कन्सेशनर) द्वारा देय रकम से संबंधित कोई विवाद परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा लिखित में आदेश द्वारा निपटाया जाएगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, यदि कोई हो, परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता को होगी.
3. पथकर के संग्रहण के संबंध में व्यथित कोई भी व्यक्ति परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक को अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा. संभागीय प्रबंधक, 15 (पन्द्रह) दिनों की कालावधि के भीतर ऐसी शिकायत पर आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, यदि कोई हो परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता को होगी.

7. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी की गई निविदा के अनुसार संपूर्ण रियायत कालावधि के लिए प्रभावी होगी.

8. राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियाँ इन सड़कों को पार करते समय पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त रहेगी:—

- (1) भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार से संबंधित समस्त वाहन और वे वाहन जो सरकारी कर्तव्य पर हों;
- (2) संसद तथा विधानसभा के माननीय सदस्यों से संबंधित वाहन;
- (3) भारतीय सेना से संबंधित वाहन;
- (4) एम्बुलेंस;

- (5) फायर बिग्रेड;
- (6) भारतीय डाक तथा तार विभाग से संबंधित वाहन;
- (7) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्राली;
- (8) आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियों;
- (9) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता पत्रकार;
- (10) भूतपूर्व सांसद एवं विधायक से संबंधित वाहन;
- (11) इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि टोल से छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी में आएंगे.

टिप्पणी:—पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त वाहनों का चालक (ड्राइवर) अपना नाम, रैंक तथा उस कर्तव्य (ड्यूटी), जिसमें वह लगा हुआ है, का कथन करेगा.

9. संचालन, रख-रखाव तथा इस्तांतरण (ओ.एम.टी.) आधार पर विकास के लिए चयन की गई सड़कें जिन पर कि यह अधिसूचना लागू होगी निम्नानुसार है:—

अनुक्रमांक (1)	मार्ग का नाम (2)	लम्बाई (कि.मी.) (3)
1	बड़वाह-धामनोद मार्ग	61.92
2	भोपाल-विदिशा मार्ग	36.15
3	मनावर-मांगोद मार्ग	50.41
4	सरदारपुर-राजगढ़-बाग मार्ग	50.23
5	दमोह-हटा-गैसाबाद मार्ग	73.42
6	शिवपुरी-पोहरी-करहाल-गोरस मार्ग	85.40

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. ए. खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2021

क्र. एफ-23-02-2021-सामा.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की असाधारण अधिसूचना क्रमांक एफ-23-02-2021-सामा.-उन्नीस, भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. ए. खान, उपसचिव.

Bhopal, the 9th August 2021

No. F-23-2-2021-Gen-XIX.—In exercise of the powers, conferred by Section-2 read with Section-4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government is pleased to grant sanction for levying toll on the following Basic Rates on the roads shown as below, being developed on OMT scheme, on a per trip per vehicle basis for road or part thereof (Homogeneous Section) with effect from the Commercial Operation Date (COD) Certificate for the road or part thereof (Homogeneous Section) issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited:—

S. No.	Description	Basic Toll Rate effective from 01-09-2007 (Rs. per Km & per trip)
(1)	(2)	(3)
1.	Light Commercial Vehicle	0.85
2.	Truck	2.11
3.	Multi Axle Truck	4.21

2. The toll shall be collected by private developer or their agent, selected by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited. The rates of toll on each toll plaza shall be specified by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited on the basis of above Rates. The physical location of Toll Plaza and of Homogeneous Section shall be as per the tender issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited.

3. The above rates shall be increased on every Toll Plaza every year on the basis of Wholesale Price Index and shall be made effective from 1st September of every year, based on the Wholesale Price Index for the year ending on 31st March. The Basic Toll Rates shall be as per the rates notified to be effective as on 01-09-2007. The calculation of toll increased every year shall be done as per the formula (example) Given below:—

Basic Wholesale Price Index (For the year ending 31st March, 2007) WPI (A)

Wholesale Price Index (For the year ended 31st March, 2008) WPI (B)

Formula for calculation: New Toll Rate (w.e.f. 01-09-2008)= $\frac{\text{Basic Toll Rate} \times \text{WPI (B)}}{\text{WPI (A)}}$

For the coming years, the calculations shall be done as per the above, based on new Wholesale Price Index for new years, Basic Wholesale Price Index shall be of the year ending 31st March, 2007.

4. Levy and collection of toll on the road or part thereof (Homogeneous Section) shall commence after 45 days from the date of Concessionaire signing the Concession Agreement in accordance with the provisions of the Concession Agreement.

5. The Concessionaire shall near the entry point of the Project Highway and near each Toll Plaza on both sides, prominently display the applicable toll charges for information of users approaching from either side of the Project Highway in both Hindi & English.

6. Unauthorized Collection

(1) In the event that a Concessionaire collects from any person a sum of money not due and payable hereunder, the Concessionaire shall be liable to refund to such person forthwith the amount so collected along with a sum computed @ 3% (three percent) of the amount so collected, for each day from the date of collection till the date of refund, by way of damages. In the event that such amount together with damages computed in the manner as aforesaid is not paid to such person for any reason whatsoever, the same shall be deposited with MPRDC within a period of 15 (fifteen) days from the date of such collection.

(2) Any dispute relating to amounts payable by the Concessionaire under Sub clause (1) clause 6 shall be settled by the Divisional Manager, MPRDC having jurisdiction over the Project Highway, by an order in writing and appeal, if any, against such order, shall lie with the Chief Engineer, MPRDC having jurisdiction over the Project Highway, Bhopal.

(3) Any person aggrieved in connection with collection of toll may lodge a complaint to the Divisional

Manager, MPRDC having jurisdiction over the Project Highway. The Divisional Manager shall pass order on such complaint within a period of fifteen days and appeal, if any against such order, shall lie with the Chief Engineer, MPRDC having jurisdiction over the Project Highway.

7. This notification shall be effective for the entire concession period as per the tender issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation.

8. The State Government further declares that following categories of vehicle shall be exempted from payment of toll while crossing these roads.

- (1) All vehicles belonging to the Government of India, Government of Madhya Pradesh and those on Government duty;
- (2) Vehicle belonging to the Hon'ble Member of Parliament and Member of Legislative Assembly;
- (3) All vehicle belonging to the Indian Army;
- (4) Ambulances;
- (5) Fire Brigades;
- (6) Vehicles belonging to the Indian Posts and Telegraph Department;
- (7) Tractor-Trolleys used for agriculture purpose;
- (8) Auto Rickshaws, Two wheeler and bullock carts;
- (9) Freedom fighters, and Accredited Journalists;
- (10) Vehicles belonging to Ex-Member of Parliament and Legislative Assembly;
- (11) In Addition to the above, passenger vehicle like Bus, Car/Jeep etc. shall come under the category of exempted vehicle for payment of toll.

Note:The driver of the vehicle/van so exempted from payment of toll shall state his name, rank and name of duty on which he is engaged.

9. The roads selected for development on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis, on which this notification shall apply, are as given below:—

S. No. (1)	Name of Road (2)	Length (in Km) (3)
1	Barwah-Dhamnod Road	61.92
2	Bhopal-Vidisha Road	36.15
3	Manawar-Mangod Road	50.41
4	Sardarpur-Rajgarh-Bagh Road	50.23
5	Damoh-Hata-Gaisabad Road	73.42
6	Shivpuri-Pohari-Karhal-Goras Road	85.40

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. A. KHAN, Dy. Secy.